अंचल कार्यालय कोडरमा

विविधवाद अभिलेख सं0 ....18..../2017–18

नाम– श्री सुरेन्द्र सिंह
पिता– स्व0 दौलत सिंह
ग्राम–कोडरमा, पोस्ट– कोडरमा
मौजा– कोडरमा

2-8-17

श्री सुरेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 दौलत सिंह, सा0 कोडरमा, ने आवेदन दिया है, कि मेरे पिता दौलत सिंह व दादाजी वंशी सिंह के नाम से दिनांक 25.10.1943 ई0 मे भातु कहार, पिता– पनकु कहार सा0 कोडरमा, थाना– कोडरमा, जिला– कोडरमा (तत्ताकालीन जिला–कोडरमा) से खरीद किया हूँ, जिसका खाता नं0– 121, प्लॉट नं0– 4418, 4419, रकवा– 8 डी0 है, यह जमीन 1943 ई0 से हमारे कब्जा मे है। सन 1958–59 मे दाखिल–खारीज हो चुका है। पुरानी रसीद हमारे पास मौजूद है तथा रसीद की छायाप्रति तथा केवाला की छायाप्रति श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध है कि पुरनी रसीद से नई रसीद करने की स्वीकृति दी जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।

आवेदन की जाँच हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक..29../..08../2017 को सुनवाई हेतु रखे।

02/08/2017
अंचल अधिकारी
कोडरमा

29-8-17

अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा–कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–121, प्लॉट सं0–4418, 4419, रकवा–0.04 ए0 एवं 0.04½ए0 कुल रकवा 0.08½ए0 भुमि की रसीद जमाबंदी कायम कर निर्गत करने हेतु अनुरोध की गई है। आवेदक द्वारा इस संबंध मे अपने पिता दौलत सिंह एवं वंशी सिंह के नाम से खरीदी गई भुमि का विकय पत्र सं0– 4639 दिनांक 25.10.1943 की छायाप्रति एवं वर्ष 1958, 1959 मे निर्गत रसीद की छायाप्रति संलग्न की गई है। पुरानी राजस्व पंजी जो वर्ष 1953–54 से संधारित है, से निर्गत रसीद का मिलान किया करने पर पाया कि भॉलुम सं0– 1 के पृष्ठ सं0– 315 पर दौलत सिंह, पिता– भातु सिंह का नाम अंकित है, तथा वर्ष 1958 मे लगान का भुगतान इनके द्वारा की गई थी। निर्गत रसीद की सं0– 031928 है। दौलत सिंह के चार पुत्र हैं– 1. सुरेन्द्र सिंह, 2. दयानंद सिंह, 3. विरेन्द्र सिंह एवं 4. रंजित सिंह हैं। एवं वंशी सिंह के उतराधिकारी में इनके पौत्र– 1. राम सिंह एवं 2. संजय सिंह, पिता–स्व0 सहदेव सिंह है। पुरानी पंजी II पर दौलत सिंह का नाम संयुक्त रैयत के रूप में दर्ज है, भुमि रैयती खाते की है। दखली भुमि का अंचल अमीन से पैमाईस कराकर रसीद निर्गत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

अतः उक्त प्रतिवेदन /अनुशंशा के आलोक में अमीन नापी हेतु एक आदेश निर्गत करें नापी की तिथि दिनांक..04../..10../2017 निर्धारित की जाती है। अभिलेख दिनांक..12../..10../2017 को उपस्थापित करें।

29/08/2017
अंचल अधिकारी
कोडरमा

Scanned with CamScanner

1|10|17 अभिलेख उपस्थापित।
0|12|17
हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 121, प्लॉट नं0 4418, रकवा 0.04 ए0 एवं प्लॉट नं0 4419 रकवा 0.04½ ए0, कुल रकवा 0.08½ ए0 भूमि 4639 दिनांक 25.10.1943 के द्वारा आवेदक के पिता एवं अन्य को हासिल है। जिसका जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 315/1 पर दौलत सिंह पिता भातु सिंह के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षो पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्थल जांच के क्रम में गणेश राम, भरत सिंह पिता बिरेन्द्र सिंह, दयानन्द सिंह पिता दौलत सिंह, सतीश पंडित पिता सीताराम, राजेन्द्र प्रसाद वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद सं0 031928 दिनांक 31.03.1958, वर्ष 1957–58 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर दौलत सिंह के नाम से दर्ज था।

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 121, प्लॉट नं0 4418, रकवा 0.04 ए0 एवं प्लॉट नं0 4419 रकवा 0.04½ ए0, कुल रकवा 0.08½ ए0 भूमि का स्थानीय जांच आवेदक की उपस्थिति में किया गया, जिसमें पाया गया कि संबंधित भूमि पर बॉण्ड्रीवाल किया हुआ है। स्थल पर आवेदक द्वारा अपना शांतिपूर्वक दखल कब्जा बताया गया। दखल कब्जे से संबंधित लेख्य प्रमाणक, कोडरमा द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0 02 दिनांक 19.12.17 संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेखित किया गया कि वर्णित भूमि हमारे दखल कब्जे में है, जिसका बिक्री या बंधक नहीं किया गया है, अगर किसी प्रकार का त्रुटि भविष्य में पाया गया तो मेरा काबिज जमाबन्दी घटाकर क्रेता के नाम से कर दी जाय। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 121, प्लॉट नं0 4418, रकवा 0.04 ए0 एवं प्लॉट नं0 4419 रकवा 0.04½ ए0, कुल रकवा 0.08½ ए0 पर आवेदक का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 121, प्लॉट नं0 4418, रकवा 0.04 ए0 एवं प्लॉट नं0 4419 रकवा 0.04½ ए0, कुल रकवा 0.08½ ए0 भूमि की जमाबन्दी पूर्व की भांति जमाबंदीधारक दौलत सिंह पिता स्व0 भातु सिंह एवं वंशी सिंह पिता स्व0 हेमंत सिंह के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

20/12/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

5/1/2018